गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद

(I.S.O. 9001:2015 एवं I.S.O. 14001:2015 द्वारा प्रमाणित संस्था)

द्वारा

हिण्डन नदी के किनारे करहैडा गॉव के निकट

सिटी फॉरेस्ट

में

एम्यूजमेन्ट (झूला) संचालन हेतु नियम एवं शर्तो की विवरणिका।

GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY
gda
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

एक सुन्दर शहर...................हमारा संकल्प

मूल्य (जी0एस0टी0 सहित)– ₹ 1298.00/–

एम्यूजमेन्ट (झूला) संचालन हेतु नियम व शर्तें

कार्य का नाम– हिण्डन नदी के किनारे करहैडा गॉव के निकट सिटी फॉरेस्ट में एम्यूजमेन्ट (झूला) संचालन का कार्य।

1. एम्यूजमेन्ट (झूला) संचालन की अवधि 5 वर्ष होगी।
2. प्रस्तावक को रू0 50,000.00 (पच्चास हजार) मात्र धरोहर राशि डी0डी0 के रूप में नीलामी के समय जमा करने होंगे, जो कि उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय होगी। सर्वोच्च बोलीदाता की उक्त धनराशि जमानत के रूप मे जमा रहेगी। यह राशि कार्य के निर्धारित अवधि पूर्ण होने के उपरान्त वापिस की जायेगी। यह धनराशि सर्वोच्च बोली की राशि मे समायोजित नही होगी।
3. प्रस्तावक को आयकर पैन नम्बर, फोटो पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड की प्रति जमा करानी होगी।
4. यह कि इस नीलामी पर सिटी फॉरेस्ट में एम्यूजमेन्ट (झूला) का वार्षिक अंशदान प्रत्येक वर्ष नीलामी तिथि आरम्भ होने से पूर्व जमा करना होगा। यह विलेख पॉच वर्ष की अवधि हेतु अनुमन्य होगा, नीलामी शुल्क वर्ष आरम्भ होने से पूर्व अदा न करने पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर पैनल ब्याज देय होगा तथा नियमानुसार नीलामी विलेख पर पुनर्विचार किया जायेगा।
5. यह कि नीलामी पर दी गयी सम्पत्ति (एम्यूजमेन्ट झूला संचालन) का कब्जा नीलामी विलेख/कार्य आदेश के निष्पादन के बाद प्रदान किया जायेगा। दी गयी सम्पत्ति का पूर्ण स्वामित्व प्राधिकरण का होगा और नीलामीदाता को निर्माण करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यदि स्थल पर कोई परिवर्तन किये जाने का प्राधिकरण स्तर पर निर्णय लिया जाता है तो संचालनकर्ता को उक्त निर्णय मान्य होगा।
6. यह कि नीलामी की अवधि समाप्त होने पर उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की अनुमति से ही नीलामी विलेख का नवीनीकरण हो सकेगा। संचालन की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही लिखित अनुरोध पर उपाध्यक्ष द्वारा विचारोपरान्त नीलामी नवीनीकरण के विषय में निर्णय लिया जायेगा। नीलामी नवीनीकरण की अनुमति न प्रदान किये जाने पर नीलामीदाता को स्थल का कब्जा प्राधिकरण को वापस सौंपना होगा।
7. यह कि अनुज्ञप्ति पर दी गयी सम्पत्ति व उसके आस–पास की सफाई का पूर्ण दायित्व संचालनकर्ता का होगा और संचालनकर्ता अपने खर्चे पर आवश्यक व्यवस्था स्वंय करेगा।
8. यह कि नीलामी पर दिये गये स्थल को अतिक्रमण मुक्त रखने की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी व नीलामी पर दी गयी सम्पत्ति के आकार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा और स्थल पर ऐसी गतिविधि संचालित नहीं करेगा जिससे बोलीदाता के स्वामी होना प्रदर्शित होता हो।
9. यह कि प्राधिकरण को नीलामी पर दी गयी सम्पत्ति के निरीक्षण करने का अधिकार होगा तथा अधिकारियों द्वारा दिये गये सुझाव संचालनकर्ता को मान्य होंगे।
10. यह कि नीलामी पर दी गयी सम्पत्ति एवं उसके अनुरक्षण पर उत्तर प्रदेश सरकार/स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित किसी भी प्रकार के शुल्क, कर या अन्य देयता के अदा करने का दायित्व संचालनकर्ता

का होगा, प्राधिकरण उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

11. सिटी फॉरेस्ट परिसर में हथियार सहित प्रवेश वर्जित है।
12. प्रस्ताव स्वीकृति के उपरान्त उच्चतम प्रस्ताव के आधार पर तय धनराशि वार्षिक किस्तो में अग्रिम रूप में जमा करानी होगी।
13. आयकर प्राविधानों के अनुसार एम्यूजमेन्ट (झूला) संचालन हेतु प्राप्त उच्चतम प्रस्ताव की धनराशि पर निर्धारित देयकर व प्रशासन/राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का कर लागू किये जाने की दशा में उक्त धनराशि अतिरिक्त रूप से ठेका स्वीकृति के पश्चात प्राधिकरण कोष में जमा करानी होगी।
14. विशेष परिस्थितियों में स्थान परिवर्तन करने का अधिकार उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को होगा।
15. नीलामी के सम्बन्ध में कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय ही अन्तिम एवं दोनो पक्षो को मान्य होगा।
16. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जिला गाजियाबाद होगा।
17. यदि प्राधिकरण द्वारा एम्यूजमेन्ट (झूला) संचालन की व्यवस्था समाप्त की जाती है तो संचालनकर्ता को शेष अवधि के लिए अनुपातिक धनराशि वापस कर दी जायेगी।
18. प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात संचालनकर्ता को अपने खर्चे पर प्राविधानों के अनुसार व प्रदत्त निर्धारित लागू शासनादेशों के अधीन सब रजिस्ट्रार गाजियाबाद द्वारा निर्धारित दरो के अनुसार वांछित स्टाम्प पेपरो पर एक सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध कराना होगा।
19. एजेन्सी अपने अधिकार को किसी भी दशा में किसी अन्य व्यक्ति/एजेन्सी को हस्तान्तरित नहीं करेगी, ऐसा करने की दशा में नीलामी को निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
20. संचालनकर्ता अथवा उसके कर्मचारीगण किसी भी भ्रमणकारी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे।
21. संचालनकर्ता को नियत दरो को अंकित करते हुए कूपनों/टोकनों की व्यवस्था करनी होगी। तदानुसार ही संचालनकर्ता धनराशि वसूल कर सकेगा। यदि संचालनकर्ता द्वारा इस शर्त का उल्लंघन किया गया तो अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और कोई भी आनुपातिक धनराशि आदि वापस नहीं की जायेगी।

1. वॉकर (मिक्की माउस)	दरें रू0 40.00 प्रति व्यक्ति प्रति 10 मिनट
2. ट्रेन	दरें रू0 40.00 प्रति व्यक्ति प्रति 10 मिनट
3. छोटा झूला	दरें रू0 40.00 प्रति व्यक्ति प्रति 10 मिनट
4. बडा झूला	दरें रू0 50.00 प्रति व्यक्ति प्रति 10 मिनट
5. बन्जी जम्पिंग	दरें रू0 100.00 प्रति व्यक्ति प्रति 10 मिनट

22. स्थल पर विद्युत कनैक्शन तथा उस पर व्यय गाजियाबाद विकास प्राधिकरण करेगा, लेकिन विद्युत उपयोग की की प्रतिपूर्ति का भुगतान बोलीदाता द्वारा मासिक आधार पर वहन किया जायेगा, समय से भुगतान न करने पर अर्थदण्ड भी संचालनकर्ता को जमा करना होगा।
23. संचालनकर्ता स्थल पर किसी प्रकार का खोखा/ठेला अथवा हॉकर्स की स्थापना नहीं करेगा। विशेष परिस्थिति में नियम शर्तो के अनुरूप प्राधिकरण द्वारा अनुमति दी जायेगी।
24. प्राधिकरण द्वारा निर्मित/स्थापित गेट/पोस्ट में यदि कोई टूट–फूट या कोई क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति एजेन्सी को करनी होगी।
25. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के विभागीय/स्टाफ के लिए एम्यूजमेन्ट (झूला) संचालन की व्यवस्था में 50 प्रतिशत की छूट रखनी होगी।

26. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायायल एवं स्थानीय न्यायालय द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेशों का अनुपालन करना होगा।
27. निर्धारित दरो से अधिक शुल्क वसूले जाने की दशा में बिना किसी अन्य सूचना के अनुज्ञप्ति निरस्त कर दिया जायेगा।
28. संचालनकर्ता द्वारा आगामी प्रत्येक वर्ष वार्षिक शुल्क में 10 प्रतिशत/उपभोगता मूल्य सूचकांक (जो भी अधिक हो) के आधार पर वार्षिक वृद्धि के साथ जमा करना होगा। द्वितीय वर्ष हेतु निर्धारित धनराशि निर्धारित अवधि में ठेकेदार द्वारा प्राधिकरण कोष में जमा न कराये जाने पर तत्काल ठेकेदार का कार्य बन्द करा दिया जायेगा तथा प्राधिकरण द्वारा स्थल को अपने कब्जे में ले लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में ठेकेदार का कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा। यदि उक्त कार्यवाही के फलस्वरूप ठेकेदार को किसी भी प्रकार की कोई हानि उठानी पड़ती है, तो उसके लिये ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा।
29. दरो के सम्बन्ध में स्थल पर सूचना पट एक प्रवेश द्वार पर तथा एक निकास द्वार पर लगवाना होगा तथा मौके पर शिकायत एवं सुझाव पुस्तिका रखनी होगी व उसकी उपलब्धता की सूचना के सम्बन्ध में सूचना पट पर अंकित करना होगा।
30. एम्यूजमेन्ट (झूला) संचालन पर कार्यरत कर्मचारियों को निर्धारित ड्रेस में (ड्रेस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जायेगी) नेमप्लेट सहित ड्यूटी पर उपस्थित रहना होगा। कर्मचारियों की एक सूची नाम व पते सहित मौके पर रखनी होगी तथा उसकी एक प्रति कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी।
31. स्थल पर उपलब्ध एवं विकसित सुविधाओं जैसे बैरियर, उद्घोषणा हेतु माईक, टिकट केबिन, सूचना पट आदि के रख–रखाव का दायित्व कार्यरत एजेन्सी का होगा एवं उसमें होने वाली किसी क्षति की पूर्ति एजेन्सी को स्वयं करनी होगी।
32. एम्यूजमेन्ट (झूला) संचालन व्यवस्था में लगाये गये सभी कर्मी 18 वर्ष से अधिक तथा 45 वर्ष से कम आयु के निरोगी/स्वस्थ हो तथा न्यून्तम मजदूरी अधिनियम (Labour Act), ई0एस0आई0, पी0एफ0 आदि का उत्तरदायित्व संचालन कर्ता का होगा।
33. एम्यूजमेन्ट (झूला) संचालन व्यवस्था में लगाये गये कर्मी पूर्व में कभी भी किसी भी प्रकार की अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं होने चाहिए, तथा संचालक एजेन्सी द्वारा कर्मियों के चरित्र प्रमाण पत्र का शपथ पत्र प्राधिकरण में जमा कराने होंगे।
34. संचालनकर्ता स्वयं अपने व्यय पर झूले की व्यवस्था करेगा।
35. झूला उपयोग करने वाले व्यक्तियों का नियमानुसार बीमा संचालनकर्ता को अपने व्यय पर कराना होगा, तथा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दायित्व संचालन एजेन्सी का होगा।
36. एम्यूजमेन्ट (झूला) संचालन का समय प्रातः 7:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक रहेगा।
37. एम्यूजमेन्ट (झूला) संचालन एजेन्सी को सिटी फॉरेस्ट के नियम एवं विनियमों के अनुरूप कार्य करना होगा।
38. संचालनकर्ता द्वारा अपने नाम के साथ–साथ प्राधिकरण के लोगो एवं नाम का डिसप्ले बोर्ड लगाना होगा।
39. संचालनकर्ता स्थल पर ऐसा कोई बोर्ड नही लगायेगा, जिससे स्वामित्व का आभास होता हो।
40. स्थल पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व संचालनकर्ता का होगा।
41. यदि एजेन्सी द्वारा समय से पूर्व कार्य को समर्पण (Surendar) किया जाता है तो जमानत के रूप में जमा धनराशि रू0 50,000.00 मात्र जब्त कर ली जायेगी।
42. एजेन्सी द्वारा निर्धारित वार्षिक धनराशि अथवा किसी अन्य राशि का भुगतान न किये जाने की दशा में अवशेष धनराशि की वसूली भू–राजस्व की भांति तहसील के माध्यम से की जायेगी।

43. उपरोक्त शर्तो में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन होने की दशा में जमा धनराशि को जब्त करते हुये नीलामी/ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा एम्यूजमेन्ट (झूला) संचालन हेतु पुनः नई एजेन्सी के चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। ऐसी दशा में ठेकेदार को कोई क्षतिपूर्ति व मुआवजा देय नहीं होगा।

उद्यान अधिकारी
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

मैने उपरोक्त 1 से 43 तक सभी शर्तो को पढ़ लिया है और सुन लिया है व समझ लिया है और पूरी जानकारी के साथ अपना ऑफर ₹.................................. शब्दो में ....प्रति वर्ष की दर से प्रस्तुत कर रहा हूँ तथा प्राधिकरण के नियमों का पालन करने का वचन देता हूँ।

हस्ताक्षर बोलीदाता

Ra.C.

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद

(I.S.O. 9001:2015 एवं I.S.O. 14001:2015 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक 1051/उद्यान/22 दिनांक 05/09/2022

नीलामी सूचना

उपाध्यक्ष गाजियाबद विकास प्राधिकरण की तरफ से प्राधिकरण की विभिन्न योजना में निम्नानुसार कार्य हेतु नीलामी प्रस्तावित है:-

क्र. सं.	कार्य का विवरण	समय अपरान्हः-3:30 बजे				स्थलः-प्राधिकरण समागार			
		स्थलों की संख्या	ठेका अवधि	आरक्षित दर (एक वर्ष के लिए ₹)	फार्म फीस जी0एस0टी0 सहित	धरोहर राशि (₹)	फार्म विक्रय की प्रारम्भ तिथि	फार्म विक्रय की अन्तिम तिथि	नीलामी आहुत करने की तिथि
1.	हिण्डन नदी के किनारे करहैडा स्थित सिटी फॉरेस्ट के निकट (एम्यूजमेन्ट) झूला संचालन का कार्य।	01	5 वर्ष	32,500.00	1298.00	50,000.00	12.09.2022	19.09.2022	20.09.2022
2.	हिण्डन नदी के किनारे करहैडा गॉव के निकट सिटी फॉरेस्ट में एडवेन्चर जोन संचालन का कार्य।	01	5 वर्ष	1,61,051.00	1298.00	50,000.00	12.09.2022	19.09.2022	20.09.2022
3.	राजेन्द्र नगर स्थित डा0 राम मनोहर लोहिया पार्क में प्रवेश शुल्क व्यवस्था संचालन का कार्य	01	2 वर्ष	30,25,000.00	1298.00	1,50,000.00	12.09.2022	19.09.2022	20.09.2022
4.	हिण्डन नदी के किनारे करहैडा गॉव के निकट सिटी फॉरेस्ट में प्रवेश शुल्क व्यवस्था संचालन का कार्य।	01	2 वर्ष	18,70,000.00	1298.00	2,00,000.00	12.09.2022	19.09.2022	20.09.2022

नीलामी से सम्बन्धित सूचना प्राधिकरण की वैबसाईट www.gdaghaziabad.in पर देखी तथा नियम व शर्तों की विवरणिका निर्धारित शुल्क प्राधिकरण कोष में जमा करके उद्यान अनुभाग से प्राप्त की जा सकती है।

उद्यान अधिकारी
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद